राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–436/2014/अजमेर

श्री अशोक कुमार मलिक पुत्र श्री रामेश्वर नाथ मलिक,
निवासी सरस्वती स्कूल के पीछे, कालू की ढाडी,
गोल्फ कोर्स रोड, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर–प्रथम
2. प्रभुदयाल विजय पुत्र श्री बदरी लाल जी विजय जाति महाजन,
निवासी फायसागर रोड, अजमेर ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री के.जी.खत्री
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के.खदाव
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
नाम तर्क ...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 30.09.2003 प्रकरण संख्या 1244/1995 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने वरिष्ठ लेखाधिकारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 2 प्रभुदयाल विजय पुत्र श्री बदरी लाल द्वारा एक रिहायशी सम्पत्ति जिसमें एक कमरा पुख्ता बना हुआ है व बाकी का एरीया खुला हुआ है जिसके सम्पूर्ण गृहस्थल थाले का कुल क्षेत्रफल 177.22 वर्गगज है जिसकी पूर्व की भुजा 29 फुट व पश्चिम की भुजा 29 फुट व उत्तर की भुजा 55 फुट है का विक्रय प्रार्थी श्री अशोक कुमार मलिक, पुत्र श्री रामेश्वर नाथ मलिक के पक्ष में पंजीयन हेतु दिनांक 14.10.1992 को उपपंजीयक अजमेर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक द्वारा दिनांक 03.06.2006 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया। विक्रय पत्र में वर्णित सम्पत्ति की सीमाओं में त्रुटि होने के कारण प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र में संशोधन हेतु शुद्धि पत्र दिनांक 02.03.1993 को उपपंजीयक

लगातार.....2

प्रथम के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया। उपपंजीयक द्वारा दस्तावेज की सीमाओं में शुद्धि करते हुए दिनांक 02.03.1993 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया। तत्पश्चात् ऑडिट निरीक्षण के दौरान इस शुद्धि पत्र को इस टिप्पणी के साथ कि "निष्पादक श्री प्रभु दयाल विजय द्वारा शुद्धि पत्र के माध्यम से सम्पत्ति की Location में परिर्वतन किया गया है" इस शुद्धि पत्र को पुनः Sale deed मानते हुए वरिष्ठ लेखाधिकारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा राशि वसूली हेतु रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपपंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को यथावत स्वीकार करते हुए मुद्रांक कर 4,150/–, पंजीयन शुल्क रू 316/– एंव शास्ति रू 34/– कुल 4,500/– रू. प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 का नाम प्रार्थी द्वारा पस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तर्क किया गया क्योंकि मुद्रांक कर का दायित्व प्रार्थी का है तथा अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशनगत शुद्धि पत्र को किन आधारों पर पुनः विक्रय Sale Deed माना है इसका कोई विवरण अपने आदेश में नहीं बताया गया है, ऐसे में निष्पादित विक्रय पत्र एवं सम्बन्धित शुद्धि पत्र विधिवत एवं नियमानुसार पंजीबद्ध किए गए है व इन पर अविधिक रेफरेन्स किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई मनन किए उस पर शास्ति लगाते हुए निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्व है। इन्होंने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रार्थी को निर्णय की जानकारी मांग वसूली की कार्यवाही से हुई है, संतोषजनक एवं विश्वास योग्य होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 प्रभुदयाल विजय पुत्र श्री बदरी लाल द्वारा एक रिहायशी सम्पत्ति जिसमें एक कमरा पुख्ता बना हुआ है व बाकी का एरीया खुला

लगातार.....3

हुआ है जिसके सम्पूर्ण गृहस्थल थाले का कुल क्षेत्रफल 177.22 वर्गगज है जिसकी पूर्व की भुजा 29 फुट व पश्चिम की भुजा 29 फुट व उत्तर की भुजा 55 फुट है का विक्रय प्रार्थी श्री अशोक कुमार मलिक, पुत्र श्री रामेश्वर नाथ मलिक के पक्ष में पंजीयन हेतु दिनांक 14.10.1992 को उपपंजीयक अजमेर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक द्वारा दिनांक 03.06.2006 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया। विक्रय पत्र में वर्णित सम्पत्ति की सीमाओं में त्रुटि होने के कारण प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र में संशोधन हेतु शुद्धि पत्र दिनांक 02.03.1993 को उपपंजीयक प्रथम के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया। उपपंजीयक द्वारा दस्तावेज की सीमाओं में शुद्धि करते हुए दिनांक 02.03.1993 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया। तत्पश्चात् ऑडिट निरीक्षण के दौरान इस शुद्धि पत्र को इस टिप्पणी के साथ कि "निष्पादक श्री प्रभु दयाल विजय द्वारा शुद्धि पत्र के माध्यम से सम्पत्ति की Location में परिर्वतन किया गया है" इस शुद्धि पत्र को पुनः Sale deed मानते हुए उपपंजीयक द्वारा राशि वसूली हेतु रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वरिष्ठ लेखाधिकारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को यथावत स्वीकार करते हुए मुद्रांक कर 4,150/–, पंजीयन शुल्क रू 316/– एंव शास्ति रू 34/– कुल 4,500/– रू. प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

10. प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि मूल दस्तावेज एवं संशोधित दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति समान है अथवा अलग–अलग। इस विवादित बिन्दु के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत जांच की जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में न तो कोई जांच की है व न ही निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कोई निष्कर्ष पारित किया है। प्रार्थी को सुनवाई का भी विधिवत अवसर प्राप्त नंहीं हुआ है। इस प्रकार प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश है कि वे अप्रार्थी सं. 2 को भी नोटिस जारी कर सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.10.2018 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य